

मैसर्स कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन जोईंट वेंचर शॉल्डिंग, नाथपा हिमाचल प्रदेश

बनाम

आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद चण्डीगढ़

29 अगस्त, 2007

(न्यायमूर्ति डॉक्टर अरिजीत पसायत व एस.एच.कपाड़िया)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 11 ए- मिश्रित कंक्रीट का निर्माण-उत्पाद शुल्क-मांग-यह आरोप कि तैयार मिश्रित कंक्रीट आर.एम.सी. का था -वित्तीय वर्ष 1997-98-शास्ति आरोपित-निर्माता का बचाव कि बढी हुई परिसीमा की अवधि उपलब्ध नहीं-अभिकरण द्वारा पुष्टि-अपील में अभिनिर्धारित-कि शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती-क्योंकि निर्णय सीमा की समयावधि से परे था और सीमा की विस्तारित अवधि राजस्व के लिये उपलब्ध नहीं थी-मामले के तथ्यों में माल पर लेवी के संबंध में लिये जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में संदेह की गुंजाईश थी-जब राजस्व की विस्तारित अवधि का आह्वान किया जाता है तब तथ्यों को छिपाने का भार उस पर अधिरोपित होगा-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 अनुसूची मुख्य नोट नंबर 3824.20-केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 नियम 209-ए

शब्द और वाक्यांश-‘छिपाव’-अर्थ-धारा 11 ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदर्भ में।

अपीलकर्ता-निर्माण कंपनियां मिश्रित कंक्रीट का निर्माण कर रही थी, मिश्रित कंक्रीट पर राजस्व की मांग, आरोपी कंपनियां तैयार मिश्रित कंक्रीट (आर.एम.सी) का निर्माण कर रही थी न कि मिश्रित कंक्रीट का और यह अध्याय मुख्य शीर्षक नंबर 3824.20 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत राजस्व परिपत्र दिनांक 23.05.1997 एवं 19.12.1997 पर आधारित। राजस्व द्वारा शुल्क की पुष्टि की गई और जुर्माना भी अधिरोपित किया गया।

अपीलकर्ताओं का यह बचाव कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं थी, परंतु न्यायधिकरण द्वारा इस बचाव को खारिज कर मांग की पुष्टि की गई।

अपील में ‘सी.ई.जी.ए.टी’ ने सीमा की विस्तारित अवधि की अनुपलब्धता के बचाव को अस्वीकार किया और शुल्क की मांग की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिकारी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में कोई स्पष्टता व सर्वसम्मति नहीं थी। उस समय विभिन्न परिपत्र भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर उपलब्ध थे

और 'सी.ई.जी.ए.टी' के आदेश को इनमें से एक अपील में पश्चातवर्ती वृहद पीठ के निर्णय में सही नहीं माना।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अभिनिर्धारित किया-

1. निर्णय सीमा की सामान्य अवधि से परे था और सीमा की विस्तारित अवधि राजस्व के लिये उपलब्ध नहीं थी। (पैरा-14) (561-बी)

2. 'छिपाव' को धारा 11-ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के परंतुक में "फर्जी" या "मिलीभगत" के साथ कठोर शब्द के रूप में प्रयोग किया है। केवल मात्र सही सूचना का लोप तथ्यों का छिपाव नहीं है जब-तक कि यह शुद्ध रूप से शुल्क के भुगतान को रोकता हो। जबकि तथ्यों का ज्ञान दोनों पक्षकारों को हा,े एक पक्षकार के द्वारा किए गए कार्य के लोप को छिपाव नहीं माना जाएगा। जबकि राजस्व में विस्तारित परिसीमा का प्रयोग धारा 11-ए में किया जाता है तो तथ्य के छिपाव का भार उस पर अधिरोपित किया जाएगा। एक गलत कथन को जानबूझकर गलत कथन के बराबर नहीं माना जा सकता। इससे तात्पर्य है कि इस ज्ञान के साथ कि गलत कथन जो किया गया, वह सही नहीं था।

(पैरा 10) (560 बी-डी)

3. तथ्यात्मक स्थिति से यह पता चलता है कि राजस्व परिपत्र दिनांक 23.05.1997 व 19.12.1997 पर आधारित था। परिपत्र दिनांक

06.01.1998 पर अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया। निर्विवाद रूप से 'सी.ई.जी.ए.टी' के आदेश पर अपीलांत का मामला अभिनिर्धारित था व वृहद पीठ द्वारा बाद में उसे सही नहीं ठहराया गया इसलिए यह स्पष्ट है कि लिये जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में संदेह करने का आधार मौजूद था। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से इन पहलूओं पर सही ढंग से विचार नहीं किया। तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत 'सी.ई.जी.ए.टी' ने यह माना कि शुल्क के भुगतान से बचने का कोई ईरादा नहीं होने के बारे में कोई याचिका नहीं ली गई क्योंकि खरीददार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जानी थी। वास्तव में इस तरह की दलील स्पष्ट रूप से ली गई थी। तथ्यात्मक परिदृश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वहां पर संदेह का आधार था। और एक विशेष रूख अपनाने की गुजाईश थी। जो अधिनियम की धारा 11-ए अधिनियम के अनुप्रयोग को खारिज करती है। (पैरा 11) (560 डी-एफ)

4. जहां तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का संबंध है यह स्पष्ट है कि शुल्क से बचने का ईरादा इन्हीं शब्दों से बना है। जहां तक तथ्यों के गलत कथन या छिपाव का संबंध है वे स्पष्ट रूप से शब्द "स्वेच्छा" पूर्व में शब्द "गलत कथन या तथ्यों का छिपाव" का तात्पर्य जानबूझकर शुल्क से बचाव। आगे दिए गए शब्द "इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन" पुनः आगे के शब्द "शुल्क के भुगतान से बचने के ईरादे से" शब्दों का पालन करना है इसलिए गलत कथन का छिपाव करना

नहीं हो सकता है जो जानबूझकर नहीं है और जो धारा 11 के परंतुक के उद्देश्य के लिए एक अनुमेय आधार है। गलत कथन का तथ्य स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए ऐसा होने पर न्यायनिर्णय अधिकारी के द्वारा मांग को उठाना उचित नहीं था। (पैरा 12 व 13) (560 एचय 561.बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील सं. 3139/2002

सीमा शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण सी बेंच नई दिल्ली के अपील नंबर ई/2631/2000-सी में अंतिम आदेश संख्या 20-23/02-सी दिनांक 22.01.2002 से

साथ

2002 का सी.ए. नंबर 3336 व 3504

जोसेफ वेल्लापल्ली, राहुल रे, कमलेन्द्र मिश्रा, रूपेश कुमार, नीलम शर्मा, पी.ए.एस. राँव, डी.एन. मिश्रा, पी.के. साहू, प्रशान्त, राघवेश सिंह व राधाश्याम जेना अपीलांट की ओर से

ए.सुब्बाराँव, के. सुब्बाराँव, नवीन प्रकाश, राहुल कौशिक व बी.के. कृष्णप्रसाद, प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का आदेश जस्टिस डॉ. अरिजीत पसायत के द्वारा पारित किया गया।

1- इन अपीलों में कानून के समान प्रश्न शामिल हैं, और इसलिए इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जाता है। विवाद वित्तीय वर्ष 1997-98 से जुड़ा है। 1997-98 के बाद टेरिफ प्रविष्टि में प्रावधान है कि दर शून्य है। 2002 की सिविल अपील संख्या 3139 में अपील कर्ता कॉन्टिनेंटल फाउण्डेशन ज्वाइंट वेंचर द्वारा दायर अपील में बुनियादी तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

2- अपीलकर्ता मेसर्स नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन (संक्षेप में एनजेपीसी) भारत सरकार और भारत के बीच एक संयुक्त उद्यम है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकरी शहरों के बीच एक विद्युत परियोजना के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नाथपा झाकरी विद्युत निगम के रूप में जाना जाता है। परियोजना से संबंधित सिविल कार्य तीन निर्माण कंपनियों को आवंटित किया गया था।

मेसर्स कांटेनेंटल फाउण्डेशन ज्वाइंट वेंचर (संक्षेप में सीएफजेवी),

मेसर्स नाथपा झाकरी ज्वाइंट वेंचर (एनजेजेवी) और

मेसर्स जय प्रकाश हुंडई कंसोर्टियम,(संक्षेप में जेपीएचसी)।

अनुबंध के तहत कार्य की विभिन्न वस्तुओं के निष्पादन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मिक्स कंक्रीट प्रदान करने के लिए मेसर्स एनजेपीसी और निर्माण कंपनियों के द्वारा समझौता किया गया था।

3- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ ने उपरोक्त सभी पक्षों को दिनांक 20.01.1999 को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स एनजेपीसी द्वारा नियुक्त निर्माण कंपनियां रेडी मिक्स कंक्रीट(संक्षेप में आरएमसी), का निर्माण कर रही थी, जिस पर कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया था। उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जा रहा है चूंकि उक्त आरएमसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में टैरिफ अधिनियम) के अनुसूची के अध्याय शीर्षक संख्या 3824.20 के अंतर्गत आता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन है, शुल्क देय है, तीनों पक्ष आरएमसी के निर्माण की एक ही विधि अपना रहे हैं जिसके लिए मेसर्स एनजेपीसी के निर्दिष्ट खदान से चट्टान को विस्फोटित किया जाता है। इसे क्रेशर में ले जाया जाता है और परियोजना स्थल पर निर्दिष्ट आकार व विशिष्ट मात्रा में कुचल दिया जाता है। कुछ समुच्चय, साइट पर स्थापित क्रशिंग प्लांट से सीमेंट और रेत का भी उत्पादन किया जाता है। कुछ प्राकृतिक रेत का भी उपयोग किया जाता है। समुच्चय व रेत का परिवहन और भण्डारण स्वचालित बेचिंग संयंत्र के निकट डिब्बे में किया जाता है। बाजार से खरीदा गया सीमेंट साइट पर सीमेंट सिलों में संग्रहित किया जाता है। बेचिंग प्लांट एक स्वचालित प्लांट है जो बिल्ट-इन-कन्वेयर के माध्यम से मिक्सिंग ड्रम में समुच्चय, रेत और

सीमेंट के निर्दिष्ट आकार और मात्रा को नियंत्रित और वितरित करता है। एनजेपीसी द्वारा दिये गये अनुमोदित मिश्रण डिजाइन के अनुसार पानी में कमी या वायु प्रवेश के लिए मिश्रण को कंकरीट में शामिल किया गया है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित है। अनुमोदित मिश्रण डिजाइन और निर्दिष्ट मात्रा का कंकरीट बेचिंग प्लॉट में आईएस के अनुसार सख्ती से निर्मित किया जाता है: 456-1978 जैसा कि मेसर्स एनजेपीसी के साथ अनुबंध में निर्धारित हैं। इस प्रकार उत्पादित कंकरीट को प्लेसमेंट के स्थान तक ट्रांजिट मिक्सर द्वारा ले जाया जाता है और कंकरीट के सेंटिंग समय से पहले कंकरीट पम्प या प्लेसर द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाता है, जो उपयोग किये गये सीमेंट के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। नोटिस प्राप्त कंपनियां आरएमसी का निर्माण कर रही हैं, लेकिन किसी उद्देश्य से वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से बचने के लिए इसे मिश्रित कंकरीट का नाम दे रही हैं। आईएस 4296/1976 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो( संक्षेप में बीआईएस) साहित्य में प्रदान कि गई, आरएमसी की निर्माण प्रक्रिया और विधि और बोर्ड के पत्र संख्या 368/एल/98-सीएक्स दिनांक 6.01.1998 के बीच अंतर है। बोर्ड के इस परिपत्र में आरएमसी के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यह स्पष्ट किया गया है कि आरएमसी एक शुल्क योग्य उत्पाद है। यह मामला बीआईएस को भेजा गया था जिसने अपने दिनांकित 23.10.1998

के पत्र के माध्यम से यह बताया कि विभाग द्वारा उनकी दिनांकित 09.07.1998 के पत्र के माध्यम से उठाये गये प्रश्न पर कंकरीट उप समिति द्वारा विचार किया गया था। उनके विचार इस प्रकार हैं-

इस बात पर सहमति है कि जहां तक कंकरीट के निर्माण की प्रक्रिया शामिल है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पत्र में वर्णित "रेडी मिक्स कंकरीट" के लिए आईएस 4926 विनिर्देश में दी गई प्रक्रिया के समान है।

4- नोटिस के जवाब पर विचार करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त-1 चंडीगढ़ ने शुल्क की मात्रा की पुष्टि की और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 (संक्षेप में नियम) के नियम 209-ए के संदर्भ में जुर्माना भी लगाया। अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये स्टेण्डों में से एक यह था कि, अधिनियम की धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं थी। संदेह उठाये गये थे और वास्तव में, अलग-अलग समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं। इस याचिका को निर्णायक प्राधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया।

"उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि निर्माण स्थल पर निर्मित और उपयोग किये जाने वाला मिक्स कंकरीट वास्तव में रेडी मिक्स कंकरीट है और मेसर्स एनजेपीसी ने तीन निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर उक्त शुल्क से बचने के स्पष्ट इरादे से इसके नामकरण को छुपाया है। रेडी मिक्स कंकरीट मेसर्स एनजेपीसी से स्पष्ट रूप से शुल्क का

भुगतान न करने के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है, इसलिए वे उक्त उकसावे के लिए दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।"

5- अपील में अन्य चुनौतियों के अलावा सीमा की विस्तारित अवधि की गैर प्रयोज्यता से संबंधित याचिका का भी आग्रह किया गया था। ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विवाद को स्वीकार नहीं किया।

“एक अन्य तर्क मांगों की सीमा के बारे में है कि यह कहा गया कि बोर्ड के परिपत्र दिनांक 06.01.1998 के अनुरूप है क्योंकि वे स्थल पर कंकरीट आईएस 456-1978 में दिये गये मानकों के अनुरूप निर्माण कर रहे हैं। और वे इस विश्वास के साथ कि वे मिक्स कंकरीट का निर्माण कर रहे हैं न कि आरएमसी का। वे एक प्रमाणित विश्वास के तहत हैं, कि उन्हें नोटिफिकेशन संख्या 4/97 सी ई दिनांक 01.03.1997 के अधीन छूट प्राप्त है। हम इस तर्क में कुछ हद तक मानते हैं एक विशिष्ट इंद्राज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में आरएमसी के लिए किया गया है, जिसका हैड नोट 3824.20 के तहत दिनांक 01.03.1997 से प्रभावी है यह अपवाद इस नोटिफिकेशन में मिक्स कंकरीट के लिए किया गया है न कि आरएमसी के लिए। अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी अपने श्रेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा या अपने उत्पाद योग्यता या इस अधिसूचना के तहत छूट की पात्रता के बारे में कोई राय प्राप्त नहीं की। बोर्ड सर्वेक्षर दिनांक 06.01.1998 आरएमसी को उत्पाद

शुल्क के दायरे में लाने के काफी बाद जारी किया गया था। इन तथ्यों के सामने, अपीलकर्ताओं द्वारा वास्तविक विश्वास की दलील रिकार्ड कर मौजूद साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। उठाया गया एक और तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं का शुल्क के भुगतान से बचने का कोई इरादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आवेदकों और पावर कॉर्पोरेशन के बीच अनुबंध में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि विधायिका या राज्य के कानून में किसी भी बदलाव के परिणाम स्वरूप होने वाली कोई भी अतिरिक्त लागत, विनियमों या कानून द्वारा भुगतान पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। यह भी तर्क दिया जाता है, कि जहां उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति खरीददार द्वारा कि जाती है, वहां शुल्क के भुगतान से बचने का कोई इरादा नहीं हो सकता है। यह देखा गया है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठायी गई है। इस मामले में पावर कॉर्पोरेशन भी एक अपीलकर्ता है और उनकी अपील में उनकी ओर से किसी भी प्रतिबद्धता की दलील नहीं दी गई है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अनुबंध में उल्लेखित खंड पावर कॉर्पोरेशन को अपीलकर्ताओं को दमन और गलत बयानी आदि के आधार पर लगाये गये शुल्क दायित्व की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य करेगा, न कि कानून, विनियमन में किसी भी बदलाव के कारण या कानूनों द्वारा, इसलिए वास्तविक विश्वास की दलील खारिज की जाती है। अपीलकर्ता इनपुट सामग्री पर मॉडवैट क्रेडिट के लाभ का भी दावा कर

रहे हैं लेकिन यह याचिका भी मूल प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाई गई है। लेकिन न्यायहित में उन्हें इससे पहले अपना मामला मोडिवाट क्रेडिट की पात्रता के लिए मूल प्राधिकारी के समक्ष स्थापित करने का अवसर दिया जा सकता है कि वे आरएमसी निर्माण के उपयोग में कि जाने वाली इनपुट सामग्री पर शुल्क का भुगतान करने का दस्तावेजी प्रमाण दे सकें।

6-सीईजीएटी द्वारा अन्य अपीलों में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था जो अन्य अपीलों में विषय-वस्तु है।

7- अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जोसेफ वेल्लापल्ली ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न समय पर विभिन्न परिपत्र चल रहे थे। स्वयं अधिकारियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में कोई स्पष्टता या एकमतता नहीं थी। वास्तव में, कॉटिनेंटल फाउण्डेशन ज्वाइंट वेंचर के मामले (सुप्रा) में सीईजीएटी के फैसले की शुद्धता पर संदेह किया गया था और मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था। मुख्य अभियंता रंजीत सागर बांध बनाम कमिश्नर ऑफ सी.एक्स., जालंधर (2006) (198) ईएलटी 503 (ट्राई-एलबी) मामले में ट्रिब्यूनल की बड़ी पीठ ने माना है कि कॉटिनेंटल फाउण्डेशन ज्वाइंट वेंचर के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचार सही दृष्टिकोण नहीं है।

8- जवाब में प्रतिवादीयों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 01.02.1996, 23.06.1997 और 06.01.1998 के परिपत्रों की कोई

प्रासंगिकता नहीं है और मुख्य अभियंता रंजट के मामले (सुप्रा) में निर्णय सही स्थिति को प्रतिबंधित नहीं करता है।

9- हम वास्तव में अन्य मुद्दों से चिंतित नहीं हैं क्योंकि हमारे अनुसार केवल सीमा अवधि की विस्तारित अवधि की चुनौती पर अपीलकर्ता सफल होने के लिए बाध्य हैं। अधिनियम की धारा 11-ए दमन को दर्शाती है और इसलिए इसमें मूलतः आपराधिक मनः स्थिति शामिल है।

10- अभिव्यक्ति “दमन” का प्रयोग अधिनियम की धारा 11-ए के परंतुक में “धोखाधड़ी” या “मिलीभगत” जैसे बहुत कड़े शब्दों के साथ किया गया है और इसलिए, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। केवल सही जानकारी देने में चूक नहीं है तथ्यों को दबाना, जबतक की जानबुझकर शुल्क के भुगतान को रोकना न हो। दमन का अर्थ है शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से पूरी जानकारी का खुलासा करने में विफलता। जब तथ्य दोनों पक्षों को ज्ञात होते हैं, तो एक पक्ष द्वारा वह करने में चूक करना जो उसे करना चाहिए था किया गया इसे दबाया नहीं जाएगा। जब राजस्व धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करता है तो तथ्य के दमन को साबित करने के लिए उस पर बोझ डाला जाता है। एक गलत बयान को जान बूझ कर गलत बयान के साथ नहीं

जोड़ा जा सकता। उत्तरार्द्ध का तात्पर्य यह जानते हुए भी गलत बयान देना है कि बयान सही नहीं था।

11- तथ्यात्मक स्थिति दिनांक 23.05.1997 और दिनांक 19.12.1997 के परिपत्र पर निर्भर राजस्व को दर्शाती है। परिपत्र दिनांक 06.01.1998 वह है जिस पर अपीलकर्ता भरोसा करता है। निर्विवाद रूप से, कॉन्टिनेंटल फाउण्डेशन ज्वाइंट वेंचर के मामले (सुप्रा) में सीईजीएटी को बाद की बड़ी बेंच के फैसले में सही नहीं माना गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में संदेह होने की गुंजाइश थी। जाहिर तौर पर ट्रिब्यूनल ने इन पहलुओं पर सही ढंग से विचार नहीं किया है। तथ्यात्मक स्थिति के विपरित, सीईजीएटी ने माना है कि शुल्क के भुगतान से बचने का कोई इरादा नहीं होने के बारे में कोई दलील नहीं दी गई क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति खरीदार द्वारा की जानी थी। वास्तव में ऐसी दलील स्पष्ट रूप से ली गई थी। तथ्यात्मक परिदृश्य स्पष्ट रूप से दिखता है कि संदेह पर विचार करने और एक विशेष रूप अपनाने की गुंजाइश थी जो अधिनियम की धारा 11-ए को लागू करने से इनकार करती है।

12- जहां तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का सवाल है, यह स्पष्ट है कि कर्तव्य से बचने का इरादा इन्हीं शब्दों में निहित है। जहां तक गलत बयानी या तथ्यों को दबाने का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से 'जानबूझकर'

शब्द ये योग्य हैं, जो “गलत बयान या तथ्यों को दबाने” शब्दों से पहले हैं, जिसका अर्थ कर्तव्य से बचने के इरादे से है। शब्दों का अगला सेट ‘इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन’ फिर से तत्काल निम्नलिखित शब्दों ‘शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से’ द्वारा योग्य है। इसलिए तथ्य को दबाया या गलत बयान नहीं किया जा सकता है, जो जानबूझकर नहीं है और फिर भी धारा 11-ए के परंतुक के प्रयोजन के लिए एक स्वीकार्य आधार बनता है। तथ्य का गलत बयान जानबूझकर किया जाना चाहिए।

13- ऐसा होने पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के लिए मांग उठाना उचित नहीं था और अपीलों को खारिज करना सीईजीएटी के लिए उचित नहीं था।

14- सीमा की सामान्य अवधि से परे निर्णय और सीमा की विस्तारित अवधि की अनुपलब्धता के आधार पर, अपील की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विक्रम सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।